न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 64/2013

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
पारसमल पुत्र नृसिहलाल जाति जैन निवासी गेलावास तहसील रोहट हाल जैन काम्पलेक्स नम्बर 1, डी.एस.लेन. सौराष्ट्र पेठ, बैंगलोर (कर्नाटक)		1 हिराचन्द गोदीपुत्र दलीचन्द जाति ओसवाल जैन निवासी 81 बंडी ब्रहम्पुरी, पाली तहसील व जिला पाली 2 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 21/2012 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया, साथ ही प्रतिवादी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। ग्राम गेलावास के खसरा नम्बर 192, 257, 30 व 31 की भूमि अपीलाण्ट के पूर्वज श्रीसागरमल पुत्र गुणेशमल की खातेदारी भूमि थी। सागरमल के तीन पुत्र नृसिंह जी, माणचन्दजी व बस्तीमल जी थे। सागरमल ने बस्तीमल को अपने जीवनकाल में ही गोद दे दिया था। अपीलाण्ट के पिता नृसिंहजी का वर्ष 1962 में स्वर्गवास हो गया था। इसके पश्चात अपीलाण्ट की माता पानीबाई ने अपने पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

छगनलाल व हिराचन्द को गोद दे दिया था। उसके पश्चात नृसिंहजी के एकमात्र पुत्र अपीलाण्ट रहा। पानीदेवी द्वारा अपने पुत्र हिराचन्द को दलीचन्द पुत्र हिम्मतमल को गोद दिया, जो गोदनाम उप पंजीयक रोहट से दिनांक 04.09.1984 को पंजीबद्ध हुआ। सागरमल के देहान्त के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 108 स्वीकृत किया गया, जिसमें नृसिंह के वारिशान में हिराचन्द का नाम भी दर्ज कर दिया गया, जबकि हिराचन्द को गोद दिये जाने से उक्त भूमि में से हिराचन्द का कोई हक हिस्सा नहीं बनता था। इस अनुरूप सागरमल की भूमि में बस्तीमल का 1/2 हिस्सा एवं नृसिंह के पुत्र होने के नाते अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा बनता था। राजस्व रेकर्ड में उक्त नामान्तरकरण के अनुसार इन्द्राज होने से रेस्पोडेन्ट ने अपीलाण्ट को उक्त भूमि बेचान करने की धमकियां दी, तब अपीलाण्ट को उक्त रेकर्ड की जानकारी हुई। जिस पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् पर किसी प्रकार का गौर किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की तथा न ही इन बिन्दुओं को तय किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोदनामा के सम्बन्ध में यह टिप्पणी अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया कि तथाकथित गोदनामा के आधार पर हम अधिकार तय करना हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकारी से बाहर है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा गोदनामा के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा का अनुतोष ही नहीं चाहा गया। यदि रेस्पोडेन्ट को नहीं रोका गया, तो वह वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर देगा, जिससे अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए रेस्पोडेन्ट को वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने एवं बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सागरमल फौत होने पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया है, वह नामान्तरकरण वर्ष 1975 में दायर किया गया है, जिसमें हीराचन्द एवं पारसमल का नाम दर्ज किया गया। जब वर्ष 1975 में हीराचन्द गोद ही नही गया था, तो उसे गोदीपुत्र बता कर किया गया दावा ही खारिज योग्य पाया जाता है। रेस्पोडेन्ट का गोदनामा दिनांक 04.09.1984 का बताया एवं प्रस्तुत किया गया है। यदि वर्ष 1984 में गोद गया एवं सागरमल की सम्पति वर्ष 1975 में रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुई है, तो इसमें कोई अवैधता नहीं है। अतः गोदीपुत्र का तथ्य लागू नहीं होगा, पूर्व में जो सम्पति मुझ में निहित हो गई हो, मेरी नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं दलीचन्द का गोदीपुत्र हूं या नही ? गोदपुत्र तय करने की अधिकारिता मात्र सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नही। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोदीपुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रहेगा या नृसिंहदास का पुत्र रहेगा, यह सिविल न्यायालय तय करेगा। नृसिंहदास की मृत्यु के समय जैर अपील वादस्थ भूमि उनकी खुद की सम्पति रही हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब नृसिंहदास की मृत्यु हुई, तब उनके पिता सागरमल जीवित थे। इस प्रकार सागरमल की कोई सम्पति नृसिंहदास को प्राप्त ही नहीं हुई। सागरमल फौत होने पर उक्त सम्पति उनके वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 में निहित हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वर्ष 1975 से रेकर्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त है, जिसे कब्जे से आज तक बेदखल नहीं किया गया है। अपीलाण्ट 35 वर्षो से बैंगलोर रहता है, जिसका मौके पर कब्जा काश्त भी नहीं है। इस कारण घोषणा का दावा मियाद बाहर है। कब्जे की मियाद निकल जाती है, तो घोषणा के दावे में मियाद लागू होगी। अतः दावा एवं अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जैर अपील वादस्थ भूमि के बेचान हस्तान्तरण एवं मौके तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सहित अन्य सह खातेदारों की संयुक्त खातेदारी भूमि के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दलीचन्द के गोद जाने के कारण जैर अपील वादस्थ भूमि में किसी प्रकार का हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रकरण में जो तथ्य प्रकट हुए है, उनका विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गोदीपुत्र बताने के सम्बन्ध में जो रजिस्टर्ड गोदनामा बताया गया है, वह दिनांक 09.11.1984 को पंजीबद्ध हुआ है तथा जिस दस्तावेज अर्थात नामान्तरकरण संख्या 108, जो वर्ष 1975 में स्वीकृत हुआ, इस प्रकार गोदनामा से पूर्व ही भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 में निहित हो चुकी थी, तो उक्त गोदनामा जैर अपील वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड को किस हद तक प्रभावित करता है, यह कानूनी बिन्दु है, जिसका विनिश्चय मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय पर ही संभव होगा, किन्तु यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजस्व रेकर्ड में वर्ष 1975 से बतौर सह खातेदार दर्ज है तथा एक रेकर्डेड सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 21/2012 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2013 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली